फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/9/20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 कोलो0 एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी लेखराम पुत्र श्री लाधूराम जाति बैरागी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को श्रीमान् एसीसी आरसीपी सूरतगढ ने जरिये मि0 नं. 1351/84 निर्णय दिनांक 28.03.1984 द्वारा आवंटित भूमि चक 2 एसआरपीएम पत्थर नंबर 148/58 किला नंबर 6 ता 14, 17 की 10.00 बीघा कमाण्ड, पत्थर नंबर 168/2 किला नंबर 1/1.00 बीघा कमाण्ड, पत्थर नंबर 148/57 किला नंबर 16 ता 19/4.00 बीघा, 21 ता 24/4.00 बीघा, 25/0.15 बिस्वा कुल 8 बीघा 15 बिस्वा कुल तादादी 19 बीघा 15 बिस्वा एवं इसके अलावा इसी चक 2 एसआरपीएम पत्थर नंबर 148/58 किला नंबर 1 ता 5/5.00 बीघा भूमि स्मालपेंच में अप्रार्थी द्वारा आवंटन करवायी गयी है। उपरोक्त आवंटन अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर करवाया गया है। जो कि खारिज फरमाया जावे। यह कि अप्रार्थी ने हाजिर आकर दिनांक 18.03.2014 को प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी के खिलाफ इसी रकबा की बाबत इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक शिकायत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 कोल एक्ट के तहत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो कि प्रकरण संख्या 90/1989 पर दर्ज होकर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 17.12.1994 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी इन्हीं तथ्यों के आधार पर इसी रकबा की बाबत पुनः श्रीमानजी के समक्ष नई शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रार्थी की शिकायत पूर्व न्याय (Res judicata) से प्रतिबंधित होने के कारण खारिज फरमायी जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब देने से इंकार किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर शिकायत स्वयं के द्वारा प्रस्तुत नहीं करना स्वीकार किया है। अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व मकें अप्रार्थी के खिलाफ इसी रकबा की बाबत इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक शिकायत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 कोलो0 एक्ट के तहत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो कि प्रकरण संख्या 90/1989 पर दर्ज होकर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 17.12.1994 को खारिज कर दिया गया गया। प्रार्थी इन्हीं तथ्यों के आधार पर इसी रकबा की बाबत पुनः श्रीमानजी के समक्ष नई शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रार्थी की शिकायत पूर्व न्याय (Res judicata) से प्रतिबंधित होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 17.12.1994 के अवलोकन से पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी द्वारा इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी रकबा की बाबत इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। जो कि बाद जांच दोनों पक्षों को सुनकर खारिज फरमायी जा चुकी है एवं प्रार्थी द्वारा पुनः इन्हीं तथ्यों व इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी रकबा की बाबत एक नयी शिकायत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि इस न्यायालय को हस्तांतरित की गयी है। जो कि धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से प्रतिबंधित होने के कारण खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इलास सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	

Scanned by CamScanner